न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडाजिला चित्तौड़गढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या–165 / 2024 प्रार्थना पत्र
GCMS No. -2024 / 570

1. श्री जमनालाल पिता कन्हैयालाल निवासी कोटा तहसील कोटा

....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– प्रार्थी संख्या 1 –स्वयं उपस्थित
2– पेरोकार सरकार –स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :–18.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारीआराजी गांवकासोद तेहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 58 की आराजी नम्बर 670 / 76 रकबा 0.4800 व आराजी नम्बर 75 रकबा 0.0100 हैक्टेयर स्थित है।

2. उक्त आराजी पर कभी भी कुआ चाह नहीं रहा ना आज है। किन्तु सहवन से नक्शे में आराजी नम्बर 75 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै. मु. चाह. दर्ज हो गया तथा इसी अनुसार जमाबन्दी में भी यह चाह दर्ज हो गया जबकि ऐसा कोई चाह मौके पर नहीं है। ना ही कभी पहले रहा है ऐसी स्थिती में नक्शे में तथा जमाबन्दी में आराजी नम्बर 75 जो गै. मु.चाह दर्ज है उसे दुरूस्त कराया जाकर आराजी में दर्ज किया जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की और निवेदन किया कि प्रार्थी जमनालाल पिता कन्हैयालाल मीणा द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच राजस्व रेकार्ड से की गई। राजस्व रेकार्ड में ग्राम कासोद की आराजी नं0 670 / 76 रकबा 0.48 है० व आराजी नं० 75 रकबा 0.01 है० खातेदार जमनालाल पिता कन्हैयालाल मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में आराजी नं0 75 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु०चाह एवं राजस्व नक्शे में कुआँ दर्ज है। राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे से मौका मुआयना करने पर पाया गया कि राजस्व नक्शे मे आराजी नं० 75 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु० चाह (कुआँ) अंकित है परन्तु मौके पर वर्तमान में कोई कुआँ मौके पर नहीं होकर कुएँ के कोई अवशेष यथा छोटा–मोटा गड्ढा नहीं बना हुआ है। गत भू–प्रबन्ध जमाबन्दी में उक्त आ.चा. [illegible] नहीं होकर हाल भू–प्रबन्ध में आराजी नं०75 रकबा 0.01 है० आ.चा. दर्ज हुआ है। मगर [illegible] पर [illegible] आ.चा. वर्तमान में आराजी नं0 75 पर दर्ज नहीं है। उक्त कुएँ के पास [illegible] दर्ज राजस्व नक्शा व मौके पर स्थित आराजी नं0 73 रकबा 0.01 [illegible] पर मौजूद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन सेस्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस उभपयपक्ष सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं वहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह हैकि राजस्व नक्शें में आराजी नं० 75 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु० चाह (कुआँ) अंकित है परन्तु मौके पर वर्तमान में कोई कुआँ मौके पर नहीं होकर कुएँ के कोई अवशेष यथा छोटा–मोटा गड्ढा नहीं बना हुआ है। गत भू–प्रबन्ध जमाबन्दी में उक्त आ.चा. का अंकन/ नक्शा नहीं होकर हाल भू–प्रबन्ध में आराजी नं० 75 रकबा 0.01 है० आ.चा. दर्ज हुआ है। मगर मौके पर कोई आ.चा. वर्तमान में आराजी नं0 75 पर दर्ज नहीं है जिसे आराजी नंबर 75 रकबा 0.01 हैक्टेयर की किस्म भूमि चाही 3 तरमीम किया जाना प्रमाणित होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कासोद पटवार हज्का निम्बाहेडा–बी की आराजी नं० 75 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु० चाह (कुआँ) को दुरूस्त कर किस्म भूमि गे.मु.चाह कुंआ के बजाय आराजी नंबर 75 रकबा 0.01 हैक्टेयर की किस्म भूमि चाही 3 दर्ज करने के आदेश दिये [illegible] तथा निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा [illegible] रिकॉर्ड में संशोधन किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchol
Date: 2024.10.10 16:03:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा